भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1315
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र

1315. श्री नायब सिंह सैनी :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) विगत दस वर्षों के दौरान वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;
(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;
(ग) व्यापार में सुगमता में क्या अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं और नियमित न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं ;
(घ) भारतीय विधि प्रणाली के डिजिटलीकरण में मंत्रालय का किस प्रकार का योगदान है ; और
(ङ) परम्परागत भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं। इन तंत्रों को मजबूत करने के लिए तथा उन्हें उपयोक्ता अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं । इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं-

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में प्रगतिकारी संशोधन हुए हैं। ये संशोधन माध्यस्थम् कार्यवाही के समय पर समापन को सुनिश्चित करने, मध्यस्थों की तटस्थता, मध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और मध्यस्थ पंचाटों के त्वरित प्रवर्तन के लिए लक्ष्यित हैं ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के सृजन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना और निगमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को पूर्व-संस्थागत मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।

हाल ही में अधिनियमित मध्यकता अधिनियम, 2023, मध्यकता के लिए विधिक ढांचा निर्धारित करता है ।

(ख) : भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 के प्रमुख उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में केंद्र की स्थापना केंद्र की संरचना ; केंद्र के उद्देश्य और कार्य ; केंद्र के वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा ; पेशेवर मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने के लिए माध्यस्थम् के एक चैंबर की स्थापना ; मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए एक अकादमी की स्थापना और केंद्र के कामकाज के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित उपबंध शामिल हैं ।

(ग) : माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के संबंध में विधायी सुधारों ने माध्यस्थम् में न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यूनतम करके सुकर बनाने, और वाणिज्यिक विवादों का लागत प्रभावी निपटारा करके व्यापार करने में आसानी हो समर्थ किया है ।

वाणिज्यिक विवादों के समाधान को त्वरित, ऋजु और उचित लागत पर सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का अधिनियमन किया गया है ।

मध्यकता अधिनियम, 2023 भी मध्यकता पर एकमात्र विधि का उपबंध करके तथा न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे की संस्कृति के विकास को समर्थ करके एक प्रमुख विधायी मध्यक्षेप होने की आशा है ।

(घ) : ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, ''भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना'' के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन हैं ।

(ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकारक्षेत्र में हैं । सरकार की न्यायालय में मामलों के निपटारे में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

****